

उत्तर रेलवे

कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
जगाधरी वर्कशाप।

संख्या 974-ई/हित/कोविड-19/ज0व0

दिनांक- 13-07-2020

सभी अधिकारीगण,
सभी वरिष्ठ खण्ड अभियंता,
जगाधरी वर्कशाप ।

विषय:- जगाधरी वर्कशाप, मुख्यालय छोड़ने/ ज्वाईन करने वाले कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश ।

संदर्भ:- इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12-06-2020 व 02-07-2020


उपरोक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के द्वारा जारी संदर्भित पत्रों के द्वारा उपरोक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किये गये थे, लेकिन यह संज्ञान में आया है कि पहले के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़कर जा रहे हैं।

अतः उपरोक्त विषय पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात निम्न आदेश जारी किये जाते हैं :-

1. जब भी कोई कर्मचारी अवकाश लेगा तो लीव फार्म / प्रार्थना पत्र पर अंकित करेगा कि "वह मुख्यालय छोड़कर नहीं जायेगा" ।
2. किसी विशेष कारणवश अगर कर्मचारी को अपना मुख्यालय छोड़ने की जरूरत हो तो वह अपने लीव फार्म / प्रार्थना पत्र पर "मुख्यालय छोड़ने का कारण, जाने व आने की तिथि तथा छुट्टी के दौरान का पूरा पता अंकित करेगा" ।

Leave Sanction Authority, अवकाश स्वीकृत करने के पहले उपरोक्त Item No. 1 तथा 2 को सुनिश्चित करके ही अवकाश स्वीकृत करें ।

सभी अधिकारीगण, एसएसई/सुपरवाइजरों से अनुरोध है कि उपरोक्त नियमों का सख्ती से पालन कराये ।


कृते मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
जगाधरी वर्कशाप ।

प्रतिलिपि - सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. सचिव एनआरएमयू (यांत्रिक एवं विद्युत शाखा) - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
2. सचिव यूआरएमयू (यांत्रिक एवं सामान्य शाखा) - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
3. सचिव एससी/एसटी एवं ओबीसी एसोसियेशन - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
4. सभी मुख्य कार्यालय अधीक्षक/इंचार्ज - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।